



जीएसटी सुधार: हिमाचल की विरासत एवं अर्थव्यवस्था सुदृढीकरण

01 अक्टूबर 2025

प्रमुख बिंदु

- शॉल, टोपी तथा हस्तशिल्प पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने से 10,000-12,000 कारीगरों को लाभ
- 5,900 कांगड़ा चाय उत्पादकों को खुली चाय पर अब 0% जीएसटी से लाभ
- सैकड़ों किसान और ग्रामीण परिवार काला जीरा और चुल्ली तेल की खेती करते हैं (5%)
- खाद्य प्रसंस्करण (बददी, बरोटीवाला और नालागढ़) और चिकित्सा उपकरण (सोलन) में लगभग 20,000 श्रमिकों को जीएसटी में 5% की कटौती से लाभ हुआ

प्रस्तावना

नवीनतम जीएसटी सुधारों ने देश भर में बोझ कम किया है और विभिन्न राज्यों व क्षेत्रों को इसके विविध लाभ मिले हैं। हिमाचल प्रदेश, जो अपने समृद्ध पारंपरिक शिल्प, विशिष्ट कृषि उपज और बढ़ते उद्योगों के लिए जाना जाता है, में जीएसटी दरों में हालिया कटौती का गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

ये छोटे कारीगरों और बुनकरों के लिए राहत, किसानों और कृषकों के लिए नए अवसर और हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक समूहों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता लाएंगे। ये सुधार मिलकर आजीविका को मजबूत करेंगे और राज्य को निरंतर विकास की ओर अग्रसर करेंगे।

GST Reforms: Benefits Across Himachal Pradesh



Artisans

10,000-12,000 artisans engaged in Kullu & Pashmina shawls, Kinnauri caps, and Chamba crafts

Traditional livelihoods revived in Chamba Chappals, bamboo basketry, woodcraft, and pottery & metalware



Farmers

Thousands of farmers cultivating Kangra Tea, Kala Zeera and Chulli oil benefit from lower costs

Thousands of orchardist families indirectly gain via cheaper apple packaging

Reduced GST on fertilizers & implements will support farm mechanization



Industries

20,000+ jobs in food processing clusters and medical device manufacturing sustained



Consumers

Electronics (TVs, appliances) more affordable in rural homes (28%→18%)
Expected to see increased sales in local markets

शॉल तथा ऊनी वस्त्र

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हथकरघा उत्पादों, खासकर शॉल और ऊनी वस्त्रों को नए जीएसटी ढांचे में राहत मिलने की उम्मीद है। ये उत्पाद सिर्फ स्मृति चिन्ह नहीं हैं; ये हज़ारों कारीगरों की आजीविका का ज़रिया हैं।

कुल्लू घाटी में, स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 3,000 से ज़्यादा बुनकर चमकीले पैटर्न वाले, जीआई-टैग वाले, कुल्लू शॉल बनाते हैं। ये बुनकर राज्य भर के अनुमानित 10,000-12,000 हथकरघा कारीगरों का हिस्सा हैं, जो इन हस्तशिल्पों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पड़ोसी किन्नौर ज़िले के शॉल, जो जटिल पौराणिक रूपांकनों से सजे हैं, कई हज़ार कारीगरों द्वारा बुने और हाथ से रंगे जाते हैं। जीएसटी 12% से घटकर 5% होने से, उपभोक्ताओं के लिए इन हस्तनिर्मित उत्पादों की लागत में कमी आने की उम्मीद है। यह कदम कारीगरों की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं आय को सीधे तौर पर बढ़ावा देता है।

पश्मीना शॉल को भी 12% से बढ़ाकर 5% कर दिए जाने से लाभ हुआ है। हालाँकि इसे अक्सर कश्मीर से जोड़ा जाता है, हिमाचल प्रदेश का अपना उत्पादन लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे क्षेत्रों में भी होता है। हथकरघा क्षेत्र के 10,000-12,000 कारीगरों में से कई पश्मीना से जुड़े हैं और शानदार ऊनी शिल्प तैयार करते हैं। कर में कटौती से इस उच्च-मूल्य वाले क्षेत्र में भी राहत मिली है, जिससे कारीगरों को मार्जिन बनाए रखते हुए अपने शॉलों की कीमतें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल सकती है।

शॉलों के साथ-साथ, पारंपरिक हिमाचली टोपियाँ, जैसे बहुरंगी किन्नोरी टोपियाँ और दस्ताने जैसे अन्य ऊनी सामान भी संशोधित जीएसटी स्लैब से लाभान्वित होंगे। ये वस्तुएँ ऊँचाई वाले ज़िलों के हज़ारों

कारीगरों द्वारा हाथ से बुनी जाती हैं। कम कर से उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कुछ हद तक कमी आने की उम्मीद है। इससे कारीगरों और बुनकरों की आजीविका सुरक्षित होगी और पीढ़ियों पुराने शिल्प को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।

हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग

वस्त्र उद्योग के अलावा, हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का केंद्र है, और इन सभी को जीएसटी के युक्तिकरण से लाभ हुआ है। अधिकांश हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इसका राज्य भर के कारीगरों पर सीधा प्रभाव पड़ा है।

चंबा रुमाल कढ़ाई

चंबा रुमाल एक जीआई-टैग वाला, लघु हस्त-कढ़ाई वाला कपड़ा है, जिसे मुख्य रूप से चंबा जिले की महिला कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। स्थानीय समूहों की सैकड़ों महिलाएँ इसके उत्पादन में शामिल हैं। अब 5% जीएसटी होने से, खरीदारों के लिए लागत कम है, जिससे इन रुमालों की माँग बढ़ सकती है। कर में कटौती शिल्प के सांस्कृतिक मूल्यों की मान्यता और विरासत कला रूपों के प्रचार का भी प्रतीक है।

चंबा चप्पलें

चंबा की पारंपरिक चमड़े की चप्पलें, सैकड़ों छोटी कुटीर शिल्प इकाइयों द्वारा निर्मित एक और जीआई-टैग उत्पाद हैं। कम जीएसटी दर से इनकी कीमतें मशीन-निर्मित जूतों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएँगी और स्वदेशी चप्पलों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इससे कारीगरों को अपना मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लकड़ी के शिल्प

जटिल लकड़ी के दरवाजों और पैनलों से लेकर फर्नीचर तक, नक्काशीदार लकड़ी के उत्पाद चंबा, किन्नौर और कुल्लू जैसे क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यह उद्योग हिमाचल प्रदेश के हजारों ग्रामीण कारीगरों को रोजगार देता है। नई जीएसटी दरों ने लकड़ी के सामानों को 5% कर की श्रेणी में डाल दिया है, जिससे स्थानीय स्तर पर बने लकड़ी के फर्नीचर और स्मृति चिन्हों की माँग बढ़ेगी। इससे न केवल ये वस्तुएं सस्ती होंगी, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी मदद मिलेगी।

मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तन

हिमाचल में एक मज़बूत पारंपरिक धातु शिल्प उद्योग है और राज्य में सैकड़ों छोटी कारीगर इकाइयाँ इन शिल्पों में लगी हुई हैं। विभिन्न जिलों में फैले, कुशल कारीगर अनुष्ठानिक बर्तन, आभूषण और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। 5% की संशोधित जीएसटी दरों से स्वदेशी धातु के बर्तनों और मिट्टी के बर्तनों के लिए एक अधिक अनुकूल बाज़ार बनने की उम्मीद है। इससे कारीगरों को अपने धातु के बर्तन और मिट्टी के बर्तन बेचने का बेहतर अवसर मिलेगा।

बाँस की वस्तुएँ

हिमाचल के कुछ हिस्सों में बाँस की वस्तुएँ जैसे टोकरियाँ और अन्य पर्यावरण-अनुकूल शिल्पकलाएँ बनाई जाती हैं। इस उद्योग में सैकड़ों कारीगर काम करते हैं, जिनमें से कई हाशिए के समुदायों से आते हैं। इन उत्पादों पर, जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब 5% से कम कर लगता है।

कारिगरों के लिए, यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि इससे न केवल उनके ग्राहकों के लिए कीमतें कम होंगी, बल्कि यह टिकाऊ, पारंपरिक शिल्पकला के प्रति सरकार के समर्थन को भी दर्शाता है।



कृषि, बागवानी और संबद्ध विकास इंजन

कृषि कई क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सहारा देती है जो सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। जीएसटी सुधारों ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लाभ पहुँचाए हैं, जिससे न केवल सामर्थ्य बढ़ा है, बल्कि किसानों और श्रमिकों की आय में भी वृद्धि हुई है।

कांगड़ा चाय

पालमपुर और आसपास के इलाकों में स्थित अपने हरे-भरे चाय बागानों के लिए कांगड़ा को "उत्तर भारत की चाय राजधानी" के रूप में जाना जाता है। कांगड़ा में लगभग 5,900 छोटे चाय बागान हैं, जहाँ बागानों और कारखानों में हजारों मज़दूर चाय उगाते हैं। जीआई टैग वाली यह प्रसिद्ध चाय अब जीएसटी से

मुक्त है, और खुली चाय पर अब 0% जीएसटी लगता है। नई जीएसटी दरों ने खरीदारों के लिए खुली चाय की पत्तियों को प्रभावी रूप से सस्ता कर दिया है। इससे प्रतिस्पर्धी बाजारों में कांगड़ा चाय की बिक्री बढ़ेगी। इस प्रकार, कर राहत के माध्यम से सरकारी सहायता न केवल परिवारों के लिए सामर्थ्य लाएगी, बल्कि पारंपरिक कृषि क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगी।

काला जीरा

काला जीरा हिमाचल प्रदेश के ऊँचाई वाले जिलों में उगाया जाने वाला एक सुगंधित मसाला है। अपनी विशिष्ट सुगंध और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध इस मसाले की खेती इस क्षेत्र के कुछ सौ किसान और संग्राहक करते हैं। जीएसटी में 12% से 5% की कमी से उत्पाद की कीमत कम होने की संभावना है, जिससे माँग में वृद्धि होगी। किसानों को अपनी उपज के लिए ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, और इससे खेती का विस्तार करने को प्रोत्साहन मिल सकता है।

चुल्ली तेल (खुबानी गिरी का तेल)

चुल्ली तेल, हिमालयी क्षेत्र में निकाला जाने वाला एक पारंपरिक खुबानी गिरी का तेल है, जो अपने चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है। जीएसटी दर 5% तक कम होने से, इस क्षेत्र के बाहर के उपभोक्ताओं को भी यह थोड़ा सस्ता लग सकता है, जिससे इस उत्पाद की पहुँच बढ़ सकती है। कुल मिलाकर, यह सैकड़ों ग्रामीण उत्पादकों को रोजगार देने वाले स्थानीय उद्योग के लिए एक सहायक कदम है।

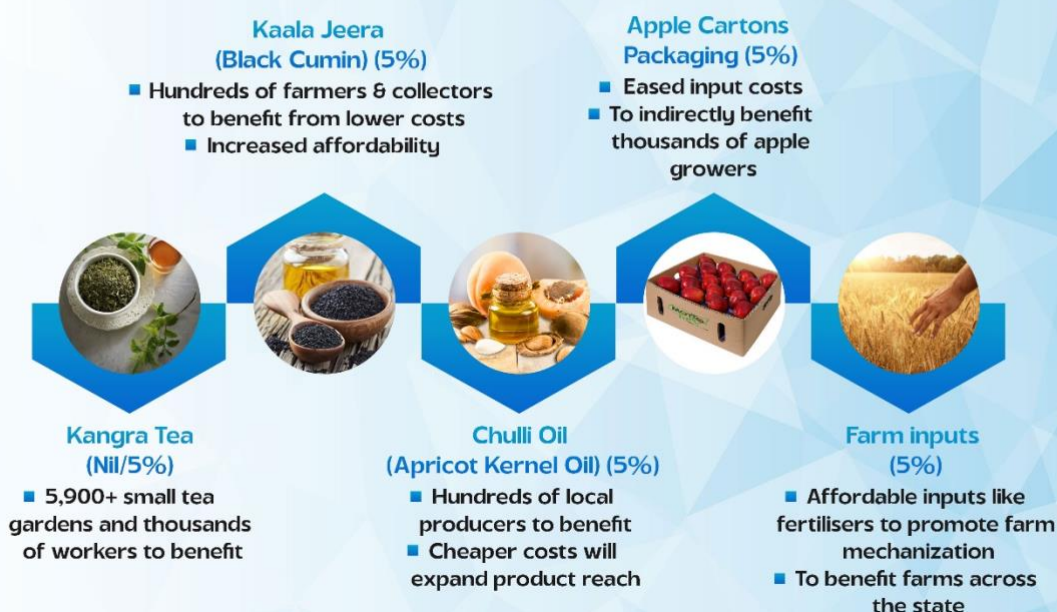
सेब के डिब्बों की पैकेजिंग

हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादन में सेब का योगदान लगभग 80% है। शिमला और अन्य सेब क्षेत्रों में उगाया जाने वाला यह उद्योग हज़ारों सेब उत्पादकों को प्रभावित करता है। ये उत्पादक अपनी उपज को भारत भर के बाजारों में भेजने के लिए डिब्बों, ट्रे और अन्य पैकेजिंग सामग्री पर निर्भर करते हैं। ऐसी सामग्रियों पर जीएसटी घटाकर 5% करने से इनपुट लागत कम होने की उम्मीद है, यानी सस्ते डिब्बे उपलब्ध होंगे, जिससे उत्पादकों और अन्य स्थानीय पैकेजिंग आपूर्ति इकाइयों को सीधा लाभ होगा।

कृषि इनपुट

जीएसटी सुधारों ने उर्वरकों जैसे कृषि इनपुटों की दरों को घटाकर 5% कर दिया है। इससे कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा और कृषि दक्षता और उत्पादन में सुधार होगा। इसलिए, इनपुट कीमतों पर संशोधित दरों से राज्य भर के लाखों किसानों को लाभ होगा।

Affordable Food & Farming in Himachal



औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र

खाद्य प्रसंस्करण

हिमाचल के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% करने से लाभ होगा। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रसंस्करण इकाइयाँ क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती हैं। खाद्य पदार्थों पर कर कम होने से खुदरा कीमतों में कमी आने की संभावना है जिससे माँग बढ़ेगी और बिक्री में वृद्धि होगी।

चिकित्सा उपकरण

हिमाचल के सोलन ज़िले में स्थित चिकित्सा उद्योग, क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। कई चिकित्सा उपकरणों पर अब 5% कर लगने से इस उद्योग को काफी फ़ायदा होगा।

अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ

विशिष्ट उद्योगों और उत्पादक-केंद्रित बदलावों के अलावा, जीएसटी सुधार औसत हिमाचली उपभोक्ता को भी राहत देते हैं। एक उल्लेखनीय बदलाव विभिन्न उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करना है, जिसका सीधा असर हिमाचल के ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है। उपभोक्ता वस्तुओं की कम कीमतों से ग्रामीण बाज़ारों में माँग बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब

है कि छोटे शहरों के स्थानीय खुदरा विक्रेताओं की **बिक्री बढ़ेगी**। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी में कटौती से आधुनिक सुविधाएँ थोड़ी और सस्ती हो जाएँगी।

निष्कर्ष

जीएसटी दरों में कटौती का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण में दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश के मामले में, **ये सुधार यह सुनिश्चित करेंगे कि देवभूमि भी फलते-फूलते बाजारों और समृद्ध आजीविकाओं की भूमि बने**। राज्य के अनूठे उत्पादों को लाभ होगा, चाहे वह कुल्लू का बुनकर हो, शिमला का सेब उत्पादक हो, कांगड़ा घाटी का चाय उत्पादक हो, या बददी का कारखाना श्रमिक हो, ये सब मिलकर हिमाचल की अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मकता और अवसरों में वृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे।

स्रोत:

हिमाचल प्रदेश सरकार:

<https://hpkangra.nic.in/gallery/kangra-tea-garden/>

विश्व बैंक:

<https://www.worldbank.org/en/news/feature/2024/12/05/boosting-apple-cultivation-in-himachal-pradesh>

पीके/केसी/एसजी